

**FORM - III****फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
संदीप कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर  
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्या 190 सन् 2025  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / २७७

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

27.06.2025

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा ग्राम पंचायत 36 एच नग्गी में प्रार्थी संदीप कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी 39 एच बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 1439 दिनांक 27.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 व भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ. नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/05 की प्रति, बैयनामा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/05 में क्रम संख्या 14 पर अंकित नाम सन्दीप कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जटसिख के स्थान पर सन्दीप कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 39 एच के खाता संख्या 5 में संदीप कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जटसिख दर्ज है। जबकि बैयनामा दस्तावेज में संदीप कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट दर्ज है। शुद्धि की जाकर जाति जाट की जानी उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/05 में क्रम संख्या 14 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर जाति जाट दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जावता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कमिश्नर एवं जज  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

संदीप कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 190/2025

निर्णय दिनांक :-27.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नगी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/05 में क्रम संख्या 14 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर जाति जाट दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीमंगलगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीमंगलगर)  
दिनांक: 27.06.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/440

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीमंगलगर)